CNR No.-UPVR010053772026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–1769/2026

रोहित पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बेनीपुर, थाना मिर्जामुराद गोमती कमिश्नरेट, वाराणसी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध सं0–69/2026

धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0

थाना–मिर्जामुराद, वाराणसी

<u>03–06–2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **रोहित** की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा प्रमिला देवी की लड़की उम्र 15 वर्ष दिनांक 11/03/2026 सुबह 8:30 AM बजे परीक्षा बताकर स्कूल (सहोदरा नन्दन इण्टर कालेज बेनीपुर) के लिये निकली जब साम 4 बजे तक न आने पर उन्होंने स्कूल जाकर पूछ–ताछ की तो स्कूल गयी ही नही थी उन्होंने आस–पास बहुत पूछ–ताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके पड़ोसी गाँव (बेनीपुर चंगवार) का लड़का रोहित उसे बहला फुसलाकर लेकर भाग गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय से न तो निस्तारित हुआ है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले में महज परेशान करने की नियत से रंजिशन गलत तरीके से फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से चार दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई यथोचित कारण भी नहीं बताया गया है। कथित घटना में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई संलिप्तता नहीं है न ही प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कथित पीड़िता की बरामदगी ही हुयी है न प्रार्थी/अभियुक्त के साथ पीड़िता के साथ जाने, रहने सम्बन्धी कोई साक्ष्य ही उपलब्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.03.2026 से जिला कारगार, वाराणसी में निरूद्ध है। वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

उभय पक्षों के तर्कों के परिपेक्ष्य में अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी की अवयस्क पुत्री को वादिनी की विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपहृत

किये जाने का अभियोग है। अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मजिस्ट्रेट को दिये गये बयान में पीड़िता ने अपनी उम्र 17 वर्ष बतायी है जबकि तहरीर में उसकी माता ने पीड़िता की उम्र 15 वर्ष अंकित कराया है। बरामदगी के समय पीड़िता ने अपनी उम्र 16 वर्ष बतायी है वहीं विद्यालय के अभिलेख के मुताबिक उसकी उम्र 13 वर्ष अंकित है जो प्रकरण को संदिग्ध बना देता है।

केस डायरी के पर्चा सं० 4 पर पीड़िता के स्कूल प्रधानाचार्य के बयान का विवरण दिया गया है जिसमे उनके द्वारा पीडिता की जन्मतिथि 11–08–2013 बतायी गयी है। केस डायरी के पर्चा सं0 06 पर पीड़िता के धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के बयान का विवरण दिया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि –

> *" दि० 11.03.26 मैंने रोहित निवासी बेनीपुर को फोन कर के बुलाया था मुसरान पर जो घर से 2 मिनट के दूरी पर है तो मै स्कूल जाने का बोलकर सुबह 08.00 बजे उसके साथ नमो घाट चली गई थी उसके बाद शाम 4 बजे मुम्बई चली गई ट्रेन से क्योकि मुझे उससे शादी कर के रहना था उसके साथ। हमने एक मन्दिर में जाकर शादी कर ली मुम्बई। वहाँ रूम लेने के लिये पैसे नहीं थे तो बस इधर उधर रहते थे स्टेशन पर कभी रहते थे रोहित को मै 2,3 महीने पहले मिली थी वह अपने छोटे भाई को छोड़ने आये थे 2,3 बार तभी मैंने नं0 माँगा था मै घर में बिना बताये गई थी क्योकि मम्मी डाँटेगी इसलिये मेरे साथ कुछ गलत नही हुआ। मै शादी करके रोहित के साथ रहना चाहती हूँ "*

अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का दो अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है किंतु किसी भी मुकदमे में उसकी दोषसिद्धि के बाबत कोई अभिवाक नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16–03–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त की दोषिता अथवा निर्दोषिता विचारण उपरांत हीं देखी जा सकती है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **रोहित** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर बाद सत्यापन इस शर्त पर जमानत पर रिहा जाय कि अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा मामले के साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेगा।

दिनांक: 03–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी
JO Code-UP 6203

Steno-Km Kshama